राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 77 / 2025 GCMS NO.- 2025/160

1. शिम्भूदयाल सैनी पुत्र प्रभाताराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. सीताराम सैनी पुत्र धन्नाराम सैनी जाति माली निवासी ढाणी नयाकुआं ज्योतिबा नगर तन चला तहसील नीमाकाथाना जिला सीकर राज. ।

.........वादीगण

बनाम

1. सुनिता देवी पत्नी प्रमोद
2. नवीन पुत्र प्रमोद
3. टीनू पुत्री प्रमोद
   जति ब्राहमण निवासी बडाऊ तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतडी

............प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

उपस्थित अधिवक्ता –

1. वादीगण की ओर – गिरधारीलाल सैनी

निर्णय दिनांक : 11.09.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके बडाऊ पटवार मण्डल बडाऊ तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073–2076 के खाता सं. 703 के खसरा नम्बर 2844 / 1815 रकबा 0.77 है. के वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 संयुक्त खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1 / 11, 1 / 11 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं हुआं है जो अभी तक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। काफी समय से कास्त के समय कमी बेसी को लेकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 वादीगण से विवाद करते रहते है एवं भूमि को अच्छी बुरी को लेकर विवाद करते है। भूमि में सुधार कार्य करने एवं ऋण आदि लेने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी वादीगण को भारी परेशानी होती है। इस कारण वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चिय किया है। वादीगण ने गत माह प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को वाद वर्णित भूमि का खाता विभाजन के लिए कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

तो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 इन्कर हो गये तथा धमकी दी की कोई खाता विभाजन नही करवायेगें। इस कारण वादीगण को वाद खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआं।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाके बडाऊ पटवार मण्डल बडाऊ तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2073–2076 के खाता सं. 703 के खसरा नम्बर 2844 / 1815 रकबा 0.77 है. में वदी सं. 1 व 2 का प्रत्येक के 1 / 11, 1 / 11 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन अलग–अलग किया जाकर वादीगण के नाम से अलग अलग खाता कायम किया जावे। एवं लगान भी अलग से कायम किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 06.08.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार खेतडी को कुरेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार खेतडी के पत्रांक भू.अ./ 2027/ 2207 दिनांक 28.08.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार खेतडी से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण कर अंतिम डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम बडाऊ जमाबंदी सं. 2073–2076 के खाता सं. 703 के खसरा नम्बर 2844 / 1815 रकबा 0.77 है. भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार खेतडी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतडी को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 77 / 2025 GCMS NO - 2025 / 160

निर्णय दिनांक :– **11.09.2025**

शिम्भूदयाल **आदि उनवान सुनिता देवी आदि**

दावा बाबत – **खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से **श्री** गिरधारीलाल **सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.09.2025 को **मुकेश चौधरी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

" अतः वाद वादीगण कर अंतिम डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम बडाऊ जमाबंदी सं. 2073–2076 के खाता सं. 703 के खसरा नम्बर 2844 / 1815 रकबा 0.77 है. भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार खेतडी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतडी को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न. / रकबे / हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested